

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक - निग.3040-तीन/2012

जिला- छतरपुर

माधव प्रसाद पटेरिया विरुद्ध हरीशचंद पटेरिया
(फौत) वारिसान- मुस. गोमती देवी पत्नी हरीशचंद पटेरिया आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक लुगासी तहसील नौगांव, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/2011-12/रा.नि. में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>4. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	

M

(आर.के. जैन)
सदस्य 11.01.19